संख्या 40-3/2020-डीएम-I (ए)
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक , नई दिल्ली -110001
दिनांक: 28 सितम्बर , 2021

आदेश

जबकि, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 28 जून, 2021 के अ. शा. पत्र संख्या जेड.28015/85/2021-डीएम सैल के तहत सूचित किए गए अनुसार, कोविड-19 के कन्टेनमेंट उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 29 जून, 2021 का समसंख्यक आदेश जारी किया गया था जिसे 28.07.2021 और 28.08.2021 के समसंख्यक आदेशों के तहत दिनांक 30.09.2021 की और अवधि तक बढ़ाया गया था।

और जबकि, देश में आगामी त्यौहारों के मौसम को देखते हुए मामलों की संख्या में होने वाली संभावित वृद्धि को रोकने की आवश्यकता पर विचार करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 'त्वरित और प्रभावी कन्टेनमेंट उपायों' तथा 'कोविड के टीकाकरण की गति और दायरे को बढ़ाने' पर लगातार फोकस करने के लिए दिनांक 21 सितम्बर , 2021 के अ. शा. पत्र संख्या जेड.28015/85/2021-डीएम सैल के तहत सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक एडवाइजरी जारी की है;

और जबकि, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2) (झ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अधोहस्ताक्षरी को देश में कोविड-19 के कन्टेनमेंट के बारे में एक आदेश जारी करने का निदेश दिया है।

अत: अब, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10(2) (ठ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी , राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और राज्य /संघ राज्य क्षेत्र प्राधिकरणों को यह निदेश देते हैं कि अनुलग्नक -I में संलग्न स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 21 सितम्बर , 2021 की उक्त एडवाइजरी के तहत सूचित किए गए अनुसार त्वरित एवं प्रभावी कन्टेनमेंट उपायों के 31.10.2021 तक कार्यान्वयन पर विचार करें। राज्य /संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रबंधन अधिनियम के संगत उपबंधों के अंतर्गत आवश्यक उपाय करेंगे। यह भी निदेश दिया जाता है कि:

(i) कोविड-19 की रोकथाम के लिए अनुलग्नक -II में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में कड़ाई से पालन किया जाता रहेगा।
(ii) सभी जिला मजिस्ट्रेट उक्त उपायों को कड़ाई से लागू करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग को लागू करने के लिए राज्य /संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, जहां तक संभव हो, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के प्रावधानों का प्रयोग कर सकती हैं।

(iii) इन उपायों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और यथा लागू अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करने के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

ह0/-
केन्द्रीय गृह सचिव एवं
अध्यक्ष , राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी)

सेवा में,

1. भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सचिव
2. राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक (संलग्न सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य
2. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण।

<u>अनुलग्नक -I</u>

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
<u>अ.शा. पत्र संख्या जेड-28015/85/2021-डीएम सैल</u>
21 सितम्बर , 2021

जैसा कि आपको विदित है, भारत सरकार कोविड की वैश्विक महामारी को नियंत्रित करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करने के लिए उनके लिए समय-समय पर दिशानिर्देश/एडवाइजरी जारी करती रही है। दिनांक 05 जनवरी, 2021 के पत्र के तहत विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के मामलों में वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए ''कड़ी सतर्कता'' बरतने और इसके लिए कदम उठाने की सलाह दी थी। सभी राज्यों को 21 फरवरी, 2021, 20 अप्रैल, 2021 और 25 अप्रैल, 2021 को सलाह दी गई थी कि वे सावधानी में कोई कमी न होने दें, कोविड से बचने के उचित तौर-तरीकों को अपनाएं और कोविड के मामलों को बढ़ाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में प्रभावी निगरानी कार्यनीतियों का पालन करें। दिनांक 25 अप्रैल, 2021 के अ.शा. पत्र संख्या जेड-28015/85/2021-डीएम सैल के तहत सभी राज्यों को जिला-वार पॉजिटिविटी रेट और बेड ऑक्युपेंसी रेट पर आधारित एक फ्रेमवर्क मुहैया कराया गया था जिसके अनुसार राज्य इस फ्रेमवर्क के आधार पर मुख्य रूप से लोगों के आपस में मिलने-जुलने पर प्रतिबंध के बारे में स्थानीय तौर पर कन्टेनमेंट उपाय कर सकें। इस फ्रेमवर्क का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के आदेश संख्या 40-3/2020-डीएम-I (ए) के तहत पुन: उल्लेख किया गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 2 सितम्बर , 2021 के अ.शा. पत्र संख्या जेड-28015/01/एएसएच/2021-ईएमआर के तहत राज्यों को यह सलाह दी गई थी कि वे पूर्व पत्रों में उल्लिखित फ्रेमवर्क पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट (वीओई) तथा वेरिएंट ऑफ कन्सर्न (वीओसी) पर निगरानी में वृद्धि सुनिश्चित करें। सभी मुख्य सचिवों को संबोधित मंत्रिमंडल सचिव के दिनांक 20 सितम्बर , 2021 के अ.शा. पत्र संख्या 272/2/1/2021-सीएबी.III के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर नियमित फॉलोअप के लिए महत्वपूर्ण कार्य बिंदुओं का भी पुन: उल्लेख किया गया है।

2. कोविड-19 हमारे देश में अभी भी जन-स्वास्थ्य की गंभीर चुनौती बना हुआ है। यद्यपि देश में दैनिक मामलों और दैनिक मौतों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है किंतु कोविड-19 की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। विश्व स्तर पर भी अनेक देशों से मामलों में वृद्धि की सूचना प्राप्त हो रही है। मामलों में इस वृद्धि से टीकाकरण के प्रयासों के अतिरिक्त कोविड से बचने के उचित तौर-तरीकों को लागू करना जरूरी हो गया है।

3. पूरे विश्व में कोविड-19 के मामलों की संख्या में वृद्धि और भारत में दूसरी लहर में लगातार कमी के बावजूद भारत में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या 3.09 लाख है तथा अभी भी प्रतिदिन 30000 मामलों की सूचना प्राप्त हो रही है। अत: मामलों की संख्या में वृद्धि को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी कन्टेनमेंट उपायों और कोविड टीकाकरण की गति और दायरे में वृद्धि पर निरंतर फोकस किए जाने की आवश्यकता है।

4. आगामी महीनों में 31 दिसम्बर , 2021 तक एक के बाद एक कई त्यौहार आएंगे।

दिनांक	**त्यौहार**
7 अक्तूबर -14 अक्तूबर	नवरात्रि
15 अक्तूबर	दशहरा
19 अक्तूबर	मिलाद उन-नबी/ईद-ए-मिलाद
24 अक्तूबर	करवा चौथ
04 नवंबर	दिवाली
5 नवंबर	गोवर्धन पूजा
6 नवंबर	भैय्यादूज
10 नवंबर	छठ पूजा
19 नवंबर	गुरुनानक जयंती
25 दिसम्बर	क्रिसमस
31 दिसम्बर	नववर्ष की पूर्व संध्या

5. यह बहुत संवेदनशील समय है क्योंकि त्यौहारों के दौरान कोविड से बचने के सुरक्षित तौर-तरीकों की उपेक्षा की प्रवृत्ति हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप बड़ी गैदरिंग, कार्यक्रम, मेलों आदि का आयोजन होगा। ये त्यौहार सावधानीपूर्वक, सुरक्षित और कोविड से बचने के उचित तौर-तरीकों के साथ सम्पन्न किए जाएं इसके लिए इन दिशानिर्देशों का पालन करना बहुत जरूरी है। कोविड से बचने के उचित तौर-तरीकों के कार्यान्वयन में किसी भी ढील के गंभीर परिणाम हो सकते हैं तथा मामलों में वृद्धि हो सकती है।

6. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 25 अप्रैल, 2021 के पत्र और तत्पश्चात गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 29 अप्रैल, 2021 को जारी की गई एडवाइजरी के तहत कन्टेनमेंट फ्रेमवर्क और कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाने के बारे में विस्तृत अनुदेश पहले ही जारी कर दिए गए थे। जिलों को यह निदेश दिया गया था कि वे टेस्ट पॉजिटिविटी और स्वास्थ्य प्रणाली पर भार के आधार पर निर्धारित क्षेत्रों में कन्टेनमेंट के सख्त उपाय करें।

मानदंड	थ्रेसहोल्ड

टेस्ट पॉजिटिविटी	पिछले एक सप्ताह में 10 प्रतिशत से अधिक की टेस्ट पॉजिटिविटी
अथवा	
बैड ऑक्युपेंशी	ऑक्सीजन सपोर्ट वाले अथवा आईसीयू बैड पर 60 प्रतिशत से अधिक की बैड ऑक्युपेंशी

7. तथापि, अत्यधिक सावधानी के तौर पर कन्टेनमेंट जोनों के रूप में निर्धारित क्षेत्रों और 5 प्रतिशत से अधिक मामलों की पॉजिटिविटी वाले जिलों में किसी गैदरिंग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केवल 5 प्रतिशत अथवा इससे कम की पॉजिटिविटी रेट वाले जिलों में अग्रिम अनुमति प्राप्त करके और सीमित लोगों की संख्या (स्थानीय संदर्भ के अनुसार) में गैदरिंग की अनुमति दी जाए। इन गैदरिंग्स की मॉनीटरिंग भी की जाएगी और शारीरिक दूरी और मास्क के प्रयोग के मानदंडों के उल्लंघन के मामले में आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।

8. साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी अथवा हाई बैड ऑक्युपेंशी (ऑकसीजन और आईसीयू बैड) के आधार पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे और छूट दी जाएंगी तथा उनकी मॉनीटरिंग की जाएगी तथा टेस्ट –ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड से बचने के उचित तौर-तरीकों के पालन की 5 सूत्री रणनीति पर निरंतर फोकस करने के अतिरिक्त प्रतिबंध बिना किसी विलंब के और कम से कम 14 दिन की अवधि तक लगाए जाएंगे।

9. संक्रमण के फैलने जैसे किसी प्रतिकूल परिणामों के बिना त्यौहार का मौसम सुरक्षित तरीके से निकल जाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य कोविड-19 की रोकथाम के 5 स्तंभों अर्थात् ''टैस्ट -ट्रैक-ट्रीट-टीकाकरण और कोविड से बचने के उचित तौर-तरीकों'' के पालन का कड़ाई से पालन करते रहें।

1. टैस्टिंग:

- अर्धशहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने के साथ, सभी राज्यों में पर्याप्त टैस्टिंग की सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। रोग का समय पर पता लगाने के लिए, राज्य के ग्रामीण एवं दूर-दराज स्थित इलाकों में रैपिड एंटीजन टैस्ट (आरएटी) की सुविधा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। रोग का समय पर पता लगाने के लिए ऐसे क्षेत्रों जिनमें भारी तादाद में मामले रिपोर्ट किए जा रहे/मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है/हाई पॉजिटिविटी दर पाई जा रही हैं, में टैस्टिंग को बढ़ाया जाना चाहिए।
- विशेष रूप से त्यौहार के मौसम के दौरान सभी जिलों में टैस्टिंग की अपेक्षित सुविधा मुहैया करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आरटी-पीसीआर मशीन एवं आरएटी किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए और तदनुसार पर्याप्त लॉजिस्टिक प्लानिंग की जानी चाहिए।
- रोग का समय का पता लगाने के लिए विशिष्ट एवं संवेदनशील जनसंख्या वाले क्षेत्रों में टैस्टिंग करना।

2. ट्रैक:

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मामलों के क्लस्टर के आधार पर कन्टेनमेंट जोन स्पष्ट रूप से परिभाषित किए जाने चाहिए।
- कन्टेनमेंट जोन में विशेष टीमें गठित करके एक्टिव मामलों का पता लगाना।
- प्रभावी कान्टेक्ट ट्रैकिंग, उनकी जांच तथा हाई रिस्क कान्टेक्ट की मॉनीटरिंग।

3. ट्रीट:

- मामलों में मृत्यु दर को कम करने के लिए जिले में केस ट्रैजेक्टरी के आधार पर स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना।
- सरकारी एवं निजी अस्पतालों में मेडिकल गैस पाइपलाइन तथा प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति की उपलब्धता सहित पीएसए प्लांट्स को लगाए जाने का कार्य पूरा करना।
- विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ऑक्सीजन सिलेण्डरों एवं कन्सट्रेटरों के माध्यम से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना।
- दवाओं के बफर स्टॉक को बनाए रखने सहित सभी कोविड डैडिकेटेड फेसिलिटीज में पर्याप्त मात्रा में दवा की उपलब्धता।
- ग्रामीण, अर्धशहरी एवं जनजातीय क्षेत्रों में कोविड-19 कन्टेनमेंट एंड मैनेजमेंट संबंधी दिनांक 18 जून, 2021 की मानक प्रचालन प्रक्रिया के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षित स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता।
- इसी प्रकार बच्चों में कोविड-19 की रोकथाम संबंधी दिशानिर्देशों के तहत पिडिएट्रिक कोविड-19 मामलों की देखरेख हेतु स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करना।
- सभी कोविड डैडिकेटिड फेसिलिटीज में मेडिकल स्टाफ तथा फील्ड कार्यकर्ताओं को नवीनतम क्लीनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के बारे में अप-स्किल/रि-स्किल करना तथा इन फैसिलिटीज में पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति उपलब्ध करवाना।
- इमरजेंसी कोविड रेस्पोंस पैकेज-।। के तहत उपलब्ध निधियों के स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने हेतु तत्काल उपयोग किया जाना चाहिए।
- किसी भी प्रकार के म्युटेशन को मॉनीटर करने के लिए, राज्यों द्वारा होल जिनोम सिक्वेंसिंग के लिए पहले से जारी एसओपी के अनुसार आईएनएसएसीओजी लैब्स को अपेक्षित संख्या में सैम्पल भेजे जाने चाहिए।

4. टीकाकरण:

- पात्र आयु वर्ग के सभी लोगों के राज्य -व्यापी टीकाकरण के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए।
- दूसरी डोज के पात्र लाभग्राहियों की कवरेज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- आबंटित डोज का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए और इसे बेकार नहीं होने देना चाहिए।

5. कोविड से बचने के तौर-तरीके:

- कोविड-19 की बेहतर तरीके से रोकथाम के लिए सामुदायिक भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- कोविड से सुरक्षित त्यौहार मौसम को प्रोत्साहित करने के लिए चिकित्सा पेशेवरों और स्थानीय प्रभावकारी लोगों का विधिवत इस्तेमाल करके स्थानीय भाषा में प्रभावकारी आईईसी।
- कोविड से बचने के तौर-तरीकों के घटकों पर समुदाय के साथ प्रभावकारी संवाद शुरू करने की आवश्यकता जिसमें मास्क /फेस कवर लगाना, शारीरिक दूरी बनाए रखना (2 गज की दूरी) और श्वसन व्यायाम तथा बार-बार हाथ धोना शामिल है।
- कोविड से बचने के तौर-तरीकों और इसके दिशानिर्देशों का पालन करने की निगरानी करने की आवश्यकता।

10. आने वाले त्यौहार मौसम के दौरान सावधानी बरतने हेतु राज्य सरकारों द्वारा अग्रिम तौर पर पर्याप्त आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने की आवश्यकता।

11. पर्याप्त शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए स्थान की उपलब्धता को देखते हुए गैदरिंग की सीमा का कड़ाई से पालन करना चाहिए। थर्मल स्क्रीनिंग कार्य में मदद के लिए स्वयंसेवकों का उपयोग और मास्क लगाने तथा शारीरिक दूरी बनाए रखने पर विचार किया जाएगा। शारीरिक दूरी और मास्क के उपयोग के अनुपालन की निगरानी करने के लिए क्लोज्ड सर्किट कैमरे भी लगाए जाएं।

12. दिनांक 01 मार्च, 2021 और 30 नवंबर, 2020 की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर यथा उपलब्ध मॉल्स , स्थानीय बाजारों और पूजा स्थलों के संबंध में पहले जारी किए गए दिशानिर्देशों का जिला स्तरों पर कड़ाई से पालन किया जाएगा। इन दिशानिर्देशों का किसी भी प्रकार उल्लंघन होने पर संक्रमण से बचने के लिए आवश्यक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

13. पूर्ण सावधानी के रूप में सभी राज्य नाईट कर्फ्यू, साप्ताहिक और अन्य प्रतिबंध जारी रख सकते हैं ताकि यह पता चले कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है और लोगों पर कोविड से बचने के तौर-तरीकों का पालन करने का असर बना रहे।

14. किसी भी पूर्व चेतावनी संकेतों की पहचान करने के लिए, सभी राज्य दैनिक आधार पर सभी जिलों में ट्रेजेक्टरीज के मामलों की गहन निगरानी करेंगे और संक्रमण के नियंत्रण से संबंधित नॉन-फॉर्मास्युटिकल इंटरवेंशन के रूप में कोविड से बचने के तौर-तरीकों का पालन करने और आवश्यक प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकारों द्वारा इन दिशानिर्देशों को दोहराया

जाए और कोविड-19 की रोकथाम के संबंध में अब तक प्राप्त हुई उपलब्धियों को कायम रखने तथा मामलों की किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी से बचने के लिए मिशन मोड अप्रोच के साथ प्रभावकारी अनुवर्ती कार्रवाई हेतु सभी संबंधितों के साथ इसे सुनिश्चित किया जाए।

आपका,

ह0/-
(राजेश भूषण)

<u>सेवा में: सभी राज्यों के मुख्य सचिव/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक</u>

प्रतिलिपि प्रेषित: सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव स्वास्थ्य

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:-

1. मंत्रिमंडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
2. गृह सचिव, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक , नई दिल्ली।

(राजेश भूषण)

अनुलग्नक -II

कोविड-19 की रोकथाम के बारे में राष्ट्रीय निर्देश

1. फेस कवर करना: सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य-स्थलों पर और परिवहन के दौरान, फेस कवर पहनना अनिवार्य है।

2. सोशल डिस्टेंसिंग बनाना: व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर 6 फुट की न्यूनतम दूरी (दो गज की दूरी) का पालन किया जाए।

3. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना: राज्य /संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।

कार्य-स्थलों के बारे में अतिरिक्त निर्देश

4. वर्क फ्रॉम होम: जहां तक संभव हो वर्क फ्राम होम की प्रैक्टिस को अपनाया जाना चाहिए।
5. कार्य/व्यवसाय के अलग-अलग समय का पालन: कार्यालयों, कार्य-स्थलों, दुकानों, बाजारों तथा औद्योगिक एवं वाणिज्य प्रतिष्ठानों में किया जाएगा।
6. स्क्रीनिंग और स्वचछता : सभी प्रवेश स्थलों में थर्मल स्कैनिंग , हाथ धोने या सेनिटाइजर तथा निकास स्थलों और कॉमन एरिया में हाथ धोने या सेनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।
7. बार-बार सेनिटाइजेशन: समस्त कार्यस्थल , जन सुविधा स्थलों और दरवाजे के हैंडल आदि जैसे मानव संपर्क में आने वाली सभी चीजों का बार-बार सेनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाएगा और यह हर शिफ्ट के बाद भी किया जाएगा।
8. सोशल डिस्टेंसिंग : कार्य स्थलों के सभी प्रभारी व्यक्ति, वर्कर्स तथा अन्य स्टॉफ के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करेंगे।

*****